कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 130 / 2022

दिनांक [illegible] / [illegible] / 2022

प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी छोटा थड़ादा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

..........प्रार्थी

बनाम

1. ममता देवी पत्नि शान्तिलाल जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. शान्तिलाल पिता उदयलाल जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. लक्ष्मण पिता केशरदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 9/8 2022

प्रार्थना पत्र में प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी छोटा थडादा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड** एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 131 **पर अंकित आराजी नम्बर 623/3 कुल किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि** जो स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद मे शपथ पत्र सलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत शपथ पत्र [illegible] है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भू [illegible] निरीक्षक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रू. की [illegible] बवक्त प्रार्थी से अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राजस्थान [illegible] स्वीकार किया [illegible] ग्राम खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे स्थित खाता [illegible] 131 **पर अंकित आराजी नम्बर 623/3 कुल किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर** जो [illegible] पडोसीयान [illegible] पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया [illegible] शुल्क [illegible] 100 रूपये राजकोष मे जमा [illegible] जावे

[illegible] होकर नम्बर से कम हो

[illegible] सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया